न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–187/2018 (2018/00187)223/केकड़ी

1. **रामेश्वर लाल पुत्र धन्ना लाल जाति जाट निवासी उंगाई तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।**

अपीलांट

बनाम

1. **किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति जाट निवासी उंगाई तहसील केकड़ी जिला जिला अजमेर।**
2. **तहसीलदार, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018, वाद संख्या150/2018 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर।

उपस्थितः–

1. श्री खड़ग सिंह एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री एस.पी.औझा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–30.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा वाद संख्या 150/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट किशनलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188,92ए, 89 और 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपीलांट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक 29.05.2018 को प्रस्तुत किया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 21.06.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियम की गई। दिनांक 21.06.2018 को न्यायालय अपने हैडक्वार्टर न लगकर कैम्प कौर्ट ग्राम सरसड़ी में लगाया गया, जबकि अपीलांट को नोटिस उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के हडक्वार्टर पर उपस्थित होने हेतु जारी किया गया, जिस पर अपीलांट दिनांक 21.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में उपस्थित हुआ किन्तु वहॉ उपस्थित होने पर अपीलांट को बताया गया कि आज के नोटिस की पत्रावलियॉ ग्राम सरसड़ी कैम्प में लगाई गयी है। इस पर अपीलांट अभिभाषक नियुक्त कर अपीलांट कैम्प सरसड़ी कोर्ट में पहुॅचा व अपीलांट के अभिभाषक ने करीब 1 बजे पहुंच कर अपना वकालनातमा प्रस्तुत किया व न्यायालय से जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर बिना जवाब दावे व बिना सुनवाई के ही उसी रोज निर्णय पारित करते हुए विपक्षी किशन लाल के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, केकड़ी को बंटवारे की स्कीम टाईप करने बाबत् निर्देश दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि आराजी मुतनाजा का अपीलांट के पिता धन्ना लाल ने बंटवारा कर आधे हिस्से की भूमि अपीलांट के भाई चन्द्रप्रकाश को दी थी व चन्द्र प्रकाश ही उक्त आराजी पर हमेशा से काबिज चला आ रहा हैं वादी का कोई कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं रहा हैं किन्तु बिना किसी जॉच के बिना साक्ष्य के जमाबंदी के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की हैं। किशन लाल का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं आधे हिस्से पर बंटवारे के अनुसार चन्द्रप्रकाश पुत्र धन्ना लाल व आधे हिस्से पर अपीलांट को बेदखल करने की गरज से उसने चन्द्र प्रकाश को पक्षकार बनाये बिना वाद मे प्राथमिक डिक्री प्राप्त कर ली हैं। वादी किशन लाल ने राज्य सरकार को भी जवाब देई का कोई अवसर प्रदान नही किया है न ही राज्य सरकार पर कोई नोटिस भी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को नहीं दिया,इस कारण भी किशन लाल का वाद डिक्री होने योग्य नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सुनवाई किये बिना तथा साक्ष्य व दस्तावेजात का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा में निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 831 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 833 रकबा 3.52 है0, खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 3.63 वाकै ग्राम उगाई तहसील केकड़ी में स्थित हैं जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 बंटवारा करके उपरोक्त वर्णित आराजीयात का दक्षिणी ओर का हिस्सा वादी के हक व हिस्से में हैं तथा उपरोक्त अनुसार ही वाद व प्रतिवादी संख्या 01 काश्त करते आ रहें है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य मनमुटाव व लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा बना रहता हैं तथा सरकार योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा था एवं उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 के अन्यत्र कृषि भूमि में खुदवाये जा रहे फार्म पोण्ड की मिट्टी को उक्त आराजीयात में अपने हिस्से से अधिक भूमि पर डलवा रहे हैं तथा जेसीबी मशीन चलाकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात में गढ़ढे इत्यादी करते हुए वादी के 1/2 हिस्से के संयुक्त कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धककियॉ दे रहे थे इस बाबत् वादी को वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2018 विधि सम्मत हैं जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट का यह कहना की हमने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वादा हेतु समय चाहा है यह गलत हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई आवेदन पेश नही हुआ हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने– अपने कब्जे के अनुसार व राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की हैं, जो विधि सम्मत हैं। अपीलांट का यह कहना कि आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से पर चन्द्र प्रकाश का कब्जा काश्त हैं, जो गलत हैं। आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से का किशन लाल रिकार्डेड खातेदार हैं उसका ही कब्जा हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है इसलिए खारिज की जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन यह प्रतीत है कि अपीलांट को कैम्प कोर्ट की तारीख की सूचना नही थी तथा प्रतिवादी द्वारा जवाब सुनवाई का अवसर चाह गया, जो उनको नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चन्द्र प्रकाश पुत्र धन्ना लाल को वाद पत्र में पक्षकारा संयोजित नहीं किया गया जबकि चन्द्र प्रकाश, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का सगा भाई हैं। वाद पत्र में चन्द्र प्रकाश को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि चन्द्र प्रकाश वाद पत्र में हितबद्ध पक्षकार हैं। प्रकरण में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट

तलब नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2018 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2018, वाद संख्या 150/2018 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में चन्द्र प्रकाश पुत्र धन्ना को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित करें व मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करें तथा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर